

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- डूंगरपुर में थानाधिकारी पुलिस थाना रामसागड़ा 52 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 29 मार्च, मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बांसवाड़ा इकाई द्वारा आज डूंगरपुर में कार्यवाही करते हुये बाबूलाल डामोर उप निरीक्षक थानाधिकारी रामसागड़ा को परिवादी से 52 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके परिवारजनों के खिलाफ थाने में दर्ज प्रकरण को रफा दफा करने की एवज में श्री बाबूलाल डामोर उप निरीक्षक थानाधिकारी रामसागड़ा जिला डूंगरपुर द्वारा 1 लाख रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर के उप महानिरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में बांसवाड़ा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री माधोसिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये बाबूलाल डामोर पुत्र हुरजी डामोर निवासी उखेड़ी थाना पहाड़ा जिला उदयपुर, हाल उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना रामसागड़ा जिला डूंगरपुर को परिवादी से 52 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानो पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।